फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

तेजशंकर विपक्षी रमा

मुकदमा 88-188 RT Act पत्रावली संख्या 43/16 सन् ______

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
11/11/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वा. कायमी/तलबी के लिये मौका चाहते है। अतः स्वा. वाद की शर्त पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 18/12/25 को पेश हो। (SDO) मावली	
18/12/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वा. कायमी/तलबी के लिये मौका चाहते है। अतः ... अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 16/1/26 को पेश हो। (SDO) मावली	ता वा
16/1/26 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 19/3/26 को पेश हो। D/s	
19/3/26 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वा. कायमी/तलबी के लिये मौका चाहते है। अतः स्वतः वाद की शर्त पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 28/4/26 को पेश हो। (SDO) मावली	
28/4/26 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 4/6/26 को पेश हो। B/s	

04/6/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय व्यॉय 2:00PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में वारिस कायमी एवं तलबी में लम्बित हैं। जिसे लगभग 10 वर्ष का समय हो चुका हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता हैं कि वादी अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) मालपुरा